



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05012023-241691
CG-DL-W-05012023-241691

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2022, शनिवार/ पौष 4—पौष 10, 1944
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2022, SATURDAY/ PAUSHA 4—PAUSHA 10, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 केपरन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

1. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (रसायन)/ विष विज्ञानी	*2 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67000 - 208700 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
आयु : लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है। (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151150 रु.) में ऐसे अनुसंधान अधिकारी (रसायन) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहर्कया पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब की उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहलेही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविंदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्व-विद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत्तता कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हों :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्बनिक रसायन में मास्टर डिग्री;

(ii) नाशक जीवमार उनके सूत्रीकरणों या मानकों और पशुओं में नाशक जीवमार के जैव निम्नीकरण के क्वालिटी नियंत्रण में पांच वर्ष का अनुसंधान या अध्यापन अथवा व्यावहारिक अनुभव :

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्बनिक रसायन में डॉक्टरेट।

टिप्पण :1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण : 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	- अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक या निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	- सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र	- सदस्य

[फा. सं. 1-42/2019-प्रशा.1]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th December, 2022

G.S.R. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, Delhi Assistant Director (Chemistry)/Toxicologist Recruitment Rules 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Chemistry)/Toxicologist, in the National Center for Vector Borne Disease Control under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, National Center for Vector Borne Disease Control, Assistant Director (Chemistry)/Toxicologist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Castes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (Chemistry)/ Toxicologist	2 * (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service. (Gazetted) Non-Ministerial. Group, A.	Level 11 in the Pay Matrix (Rs.67700 - 208700/-)	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Age : Not applicable EQ : Not applicable	Two years for promotees	i) 50 % by deputation including short term contract. ii) 50 % by promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which, promotion or deputation or absorption to be made.
11
Promotion:- Research Officers (Chemistry) in level-8 of the Pay Matrix (Rs.47600-151150) with 6 years or regular in the grade and have successfully completed the training of two weeks as prescribed by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (ISTC) Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings/ University or Recognised Research Institutions or autonomous or statutory organisation : (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Masters degree in Organic Chemistry from a recognised University or Institute ; (ii) Five years research or teaching or practical experience in quality control of pesticides their formulations or of bio-degradation of pesticides in humans and animals. Desirable: Doctorate in Organic Chemistry from a recognised University or Institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Selection Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - (Chairman) 2. Additional Secretary or Joint Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare - (Member) 3. Deputy Director General, Directorate General of Health Services - (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Departmental Confirmation Committee (for considering the confirmation) consisting of :	
1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	- (Chairman)
2. Deputy Director General or Director (A and V), Directorate General of Health Services	- (Member)
3. Director, National Center for Vector Borne Disease Control	- (Member)

[F. No. 1-42/2019-Admn.I]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय (समूह 'ग' और 'घ' पदों) की भर्ती नियमावली, 2004 के अधिक्रमण में, जहां तक इसका संबंध सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में सहायक के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- इन नियमों का नाम केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 2022 होगा।
- ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन - ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का लेवल - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल इस अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं, इत्यादि - उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं और पद से संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. निरर्हता - कोई व्यक्ति, -

- जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा
- पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करार किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु केंद्र सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम को उस पर लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या यह चयन पद (सेलेक्शन पोस्ट) है अथवा गैर-चयन पद (नॉन सेलेक्शन पोस्ट) है।	सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	2 (2022) * कार्य-भार के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह- 'ख' अनुसचिवीय, अराजपत्रित,	लेवल -6 (35400 - 112400 /-रु.)	चयन पद (सेलेक्शन पोस्ट)	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक छूट दी जा सकती है) टिप्पण 1 : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी तथा विभिन्न तरीकों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)		(9)	(10)
अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में	आयु सीमा : जी नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : जी हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर में प्रमाणपत्र			
--	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिसके आधार पर पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
पदोन्नति : ग्रेड में लेवल-4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने किसी सरकारी एजेंसी से प्रशासनिक और लेखा कार्यों में 2 सप्ताह के प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, क संबंध में, जिन्होंने अपनी पात्रता/अर्हता सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर विचार किया जा रहा हो तो उनके ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनसे सम्बंधित अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा की आधी से अधिक अवधि तक अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, होनी चाहिए और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो तथा उनके साथ उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अर्हता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली गई हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): (क) विश्वविद्यालय, अनुसंधान या समकक्ष संस्थाओं सहित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/अर्ध-सरकारी सांविधिक या सांविधिक स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी जो :- (ख) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारित किए हुए हों ; अथवा (ii) ग्रेड में लेवल -4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले उच्च श्रेणी लिपिक (ग) कॉलम (7) में यथानिर्दिष्ट अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों। टिप्पण 1 : इस विभाग में अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणतः 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख के समाप्त होने तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना अपेक्षित होता है।
12.	13.
विभागीय पदोन्नति समिति /स्थायीकरण समिति की संरचना निम्न प्रकार है:- (क) पुस्तकालय अध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता -अध्यक्ष; (ख) संस्कृति मंत्रालय में पुस्तकालय विषय की देखरेख करने वाले अवर सचिव -सदस्य (ग) लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता -सदस्य ; (घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं है।

[फा. सं. एल-23/3/2021-पुस्तकालय]

सुनीता, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 26th December, 2022

G.S.R. 202.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Reference Library, Kolkata, Ministry of Culture (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as it relate to the post of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant in the Central Reference Library, Kolkata, namely: -

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Central Reference Library, Kolkata, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.**3. Number of post, classification and level in pay matrix .—** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.**4. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.**5. Disqualification .—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to Relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**7. Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant.	2 (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).	Essential : A bachelors degree from a recognised University or Institute.	Age : No Educational Qualification : Yes

Note 1.- The crucial data for determining the age-limit shall be the closing data for receipt of applications form candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territory of Ladakh or union territory of the Andaman and Nicobar islands or union territory of Laskshdeep). Note 2.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Desirable : (i) Master degree in any discipline from recognised University or equivalent. (ii) Certificate in Computer from recognised University or Institute.	
--	---	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	By Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	Promotion : (i) From Upper Division Clerk with ten years regular service in level-4 in the grade with two weeks training in administrative and accounts matter from any Government Agency. Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): (a) Officers from Central or State Government or Union territories or Semi-Government Statutory or Statutory Autonomous Bodies, including Universities, Research or comparable Institutions holding- (b) (i) analogous post on regular basis; or (ii) Upper Division Clerk with ten years regular service in the level-4 in the grade. (c) Possessing essential educational qualification prescribed as indicated in Column (7). Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion or Confirmation Committee consisting of- (a) Librarian, Central Reference Library, Kolkata – Chairman ; (b) Under Secretary, Ministry of Culture dealing with the subject Library – Member ; (c) Accounts-cum-Administrative Officer, Central Reference Library, Kolkata – Member ; (d) One Officer belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes community – Member.	Not applicable.

[F. No. L-23/3/2021-Lib.]

SUNITA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 203.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, सहायक सम्पादक भर्ती नियमावली, 1960 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -

- इन नियमों का नाम केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 2022 होगा।
- ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन - ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का लेवल - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल इस अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं, इत्यादि - उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं और पद से संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. निरर्हता - कोई व्यक्ति, -

- जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा
- पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करार किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु केंद्र सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम को उस पर लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद (पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद
1	2	3	4	5
सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	14* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, अननुसूचित, राजपत्रित, समूह-‘ख’	लेवल-7 (44900-142400/- रुपए)	चयन आधारित पद

सीधी भर्ती किये जाने के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी
6	7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केन्द्रसरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख यूपीएससी द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री। (ii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के नियंत्रणाधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण: 1. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले, अर्हताओं में यूपीएससी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। 2. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यूपीएससी के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता/अर्हताओं में छूट दी जा सकती है जिसके कारण लिखित में रिकॉर्ड किए जाएंगे, यदि चयन के किसी भी चरण पर यूपीएससी की	आयु – नहीं शैक्षिक योग्यता – नहीं, परन्तु पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक की डिग्री रखते हों।

	ऐसी राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से संबंधित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा
9	10	11
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने की स्थिति में अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा, वेतन लेवल-6 (35400-112400/- रुपए) में और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 3 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पुस्तकालय एवं सूचना सहायक। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी पात्रता/अर्हक सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर विचार किया जा रहा हो, तब उनके वरिष्ठ अधिकारियों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि संबंधित अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा की आधी से अधिक अवधि तक अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, होनी चाहिए और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो तथा उनके साथ उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली गई हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक/ स्वायत्त संगठनों मान्यताप्राप्त शोध या शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारित किए हुए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में लेवल-6 (35400-112400/- रुपए) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- टिप्पण 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त अधिकारी, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : इस विभाग में अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख के समाप्त होने तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति या चयन समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : 1. विषय से संबंधित अपर सचिव/संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. विषय से संबंधित निदेशक (पुस्तकालय)/उप सचिव (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; 3. पुस्तकालय अध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता - सदस्य; और 4. विषय से संबंधित अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 13-5/2017-पुस्त. (पाठ)]

सुनीता, अवर सचिव

New Delhi, the 26th December, 2022

G.S.R. 203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Reference Library, Assistant Editors, Recruitment Rules, 1960, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Central Reference Library, Kolkata, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reference Library, Kolkata, Assistant Library and Information Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non-Selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Library and Information Officer.	14* (2022) *Subject to variation Dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, (Group B).	Level- 7(Rs.44900 - 142400/-).	Selection.

Age-limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2.- The Crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential : i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; ii) Two years professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. Desirable : i) Masters Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; ii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational Qualification : No, but must possess Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a Recognised University or Institute.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for Direct Recruits	50% by Direct Recruitment 50% by Promotion failing which Deputation including Short Term Contract	Promotion: Library and Information Assistant in the Level- 6 (Rs. 35400-112400/-) with five years regular service in the grade and successfully completed training of three weeks in the field of Library and Library Science. Note: Where juniors who have completed their eligibility or qualifying service are being considered their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service

	by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including Short Term Contract): Officers under Central or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations or Recognised Research or Educational Institution: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre of department; and (b) Possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 7. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. Note 2: Period of Deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by Deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
--	--

If Departmental Promotion or Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion or Confirmation Committee for considering promotion or confirmation consisting of : 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Culture, dealing with subject - Chairman ; 2. Director (Library)/Deputy Secretary (Library), Ministry of Culture dealing with the subject – Member ; 3. Librarian, Central Reference Library, Kolkata – Member; and 4. Under Secretary, Ministry of Culture, dealing with the subject - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making appointment by direct recruitment.

[F. No. 13-5/2017-Lib (Pt.)]

SUNITA, Under Secy.